(46)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

रिव्यू - 2314 - II - 16

प्रकरण क्रमांक /16रिव्यू

श्रीमती मुक्ता मणि सिंह पत्नि वीरेन्द्र सिंह
निवासी - बाबूलाल कॉलोनी पो० ऑफिस
के पीछे राजनगर तह० कोतमा
जिला- अनूपपुर (म०प्र०)...आवेदिका

बनाम

दिनांक 14.7.16 को
श्री प्रदीप श्रीवास्तव
अधि० द्वारा प्रस्तुत।
ह०
14.7.16
56

1. मध्य प्रदेश राज्य

2. श्रीमती हेमा गर्ग पत्नी वेदप्रकाश गर्ग

निवासी–अनूपपुर वार्ड नं.9, तहसील व

जिला अनूपपुर ....अनावेदकगण

रिव्यू अंतर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश राजस्व मण्डल सदस्य श्रीमती डॉ. मधु खरे के न्यायालय के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 4103 III /15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.01.2016 ।

1417

माननीय महोदय,

आवेदक रिव्यू निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता है :–

1. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा विवादित भूमि को ग्राम परसावर तहसील व जिला अनूपपुर म.प्र. में स्थित आराजी खसरा नं0 817 रकवा 1.617 है. भूमि के अंश रकवा 0.202 हैक्टेयर भूमि को निगरानीकर्ता से भूमि स्वामी उत्तरवादी के जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 को क्रय किया था।

2016 July-1119

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2314–दो/16 जिला–अनूपपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–17	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक–1 शासन की ओर से पैनल अधिवकता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 4103–तीन/15 में पारित आदेश दिनांक 30.1.16 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2314–दो/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 4103–तीन/15 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 30.1.16 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 2314–दो/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही	

रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का ज़ो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया ज़ाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य